भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या- *292
सोमवार, 16 दिसंबर, 2024/25 अग्रहायण, 1946 (शक)

नरसापुर और वेमागल ओद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार के मुद्दे

***292. श्री एम. मल्लेश बाबू:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या डॉ. सरोजिनी महिषी द्वारा की गई इन सिफारिशों के बावजूद भी कि 70 प्रतिशत तक रोजगार प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय लोगों को तथा उसके बाद अन्य लोगों को प्रदान किए जाने पर विचार किया जाना चाहिए, बड़े और मध्यम उद्योगों में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत अधिकतम रोजगार जिलों और राज्य के बाहर के लोगों को प्रदान किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जिन लोगों को अनुबंध के आधार पर काम पर रखा जा रहा है, उन्हें ग्यारह महीने पूरे होने के बाद नौकरी से हटाया जा रहा है और ऐसे कर्मचारियों को न तो नियमित किए जाने और न ही उन्हें नौकरी में बनाए रखे जाने पर विचार किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का ऐसे कर्मचारियों के कल्याण के लिए नियम और विनियम बनाने का इरादा है?

उत्तर
श्रम और रोजगार मंत्री
(डॉ मनसुख मंडाविया)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

***

"नरसापुर और वेमागल ओद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार के मुद्दे" के संबंध में श्री एम. मल्लेश बाबू द्वारा दिनांक 16.12.2024 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *292 के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) और (ख): कर्नाटक सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, कर्नाटक औद्योगिक नीति 2020-25 के अनुसार, कन्नड़ लोगों को मेगा बड़े और मध्यम स्तर के उद्योगों द्वारा कुल मिलाकर 70% और ग्रुप डी को 100% रोजगार प्रदान करना है। कन्नड़ लोगों को नरसापुर और वेमगल औद्योगिक क्षेत्रों में विभिन्न श्रेणियों (ग्रुप ए, बी, सी और डी) में क्रमशः 87.926% और 79.277% रोजगार प्रदान किया गया है।

(ग) और (घ): इसके अलावा, कर्नाटक सरकार ने सूचित किया है कि इस प्रकार का कोई भी मामला सूचित नहीं किया गया है। श्रम कानूनों के तहत, वैधानिक कल्याण प्रावधान सभी कर्मचारियों पर, किसी भी स्थिति के अनपेक्ष, लागू किए जाते हैं।

***